

पहले गारमेंट के निर्यातको के उत्पाद पर लगने वाले राज्य के करो के लिए RoSL स्कीम लागू की गई थी। फिर इसकी जगह पर **ROSCTL** स्कीम नोटिफिकेशन नंबर 14/26/2016-IT dated 18/3/2019 से लागू की गई। यह स्कीम गारमेंट्स and Made ups के लिए लांच की गई है। इसमें चैप्टर 61, 62 एवं 63 को कवर किया गया है। यह दिनांक 07-03-2019 से लागू हुई है। यह स्कीम MEIS की जगह लांच की गई तथा यह MEIS की तरह ही स्क्रिप्ट के रूप में दी जाती है। यह पूरी तरह से हस्तांतरित हो जाती है। यह FOB VALUE का एक परसेंट गारमेंट दादा मैप्स के एक्सपोर्ट पर मिलती है।

यह स्क्रिप्ट का इस्तेमाल CUSTOMS व सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इस का लाभ गारमेंट के निम्नलिखित एक्सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा:-

1. माल का उत्पादन Custom Act की धारा 65 के तहत पंजीकृत Custom bonded warehouse में हुआ हो;
2. Advance Authoriazation or DFIA के Export Obligation के लिए प्रयोग किया हो;
3. माल का उत्पादन एवं निर्यात EOU, SEZ ओर FTWZ यूनिट के द्वारा किया गया है; तथा
4. उत्पादन कर्ता नोटिफिकेशन नं. 32/1997 Custom Dated 01/04/1997 (Job Work) का बेनिफिट ले रहा हो

यदि निर्यातक इस स्किम का लाभ लेता है तो उसे duty Drawback का बेनेफिट नहीं मिलेगा।

इस स्कीम के विपरीत प्रभाव भी है जो इस प्रकार हैं:-

1. नोटिफिकेशन 32/1997- Custom के अंतर्गत जॉबवर्क नहीं कर पाएगा;
2. MEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा; तथा
3. Duty Drawback नहीं मिलेगा

पहले यह बताया गया था कि इन उत्पादों के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट 7/3/2019 से 31/3/2020 के बीच में होने पर इसका लाभ मिलेगा। कोविड-19 से उत्पन्न कठिन परिस्थिति में इस तारीख को बढ़ाकर 31/12/2020 तक कर दिया गया है। टेक्सटाइल के सभी निर्यातक सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत करते हैं।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.